अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत

सन्दर्भित वाद संख्या– 218 /2013–14

शायरा खातुन बनाम इजहार एवं दो अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	उभय पक्षों के दावे प्रतिदावे पर विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात् अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित किया गया, अनुशीलन किया। आवेदिका शायरा खातुन पति– जौजे– स्व0 ताहीर नदाफ ग्राम– भवानीपुर हाजीगंज बहुआरा, थाना– सिंहवाड़ा जिला– दरभंगा ने प्रस्तुत वाद मौजा– भवानीपुर हाजीगंज बहुआरा थाना नं0– 85 तौजी नं0– 8479 खाता नं0– 131 नया पुराना 795 खेसरा नं0– 618 पुराना नया 879, 880, 881 वो 619 पुराना नया 874, 877, 620 वो 873, 621 पुराना 872 नया वो 622 पुराना 840 नया वो 623 पुराना 839 नया अंश में 1/3 भाग यानि 10 डि0 जमीन आवेदिका के नाम दखल घोषित करने तथा हाल सर्वे खतियान में संशोधन कर विपक्षी के नाम दर्ज खतियान को सुधार करते हुए आवेदिका के नाम खतियान दर्ज करने के निमित दाखिल किया है। सुनने से विदित होता है कि हाल सर्वे खतियान 2001 में वितरण किया गया है और आवेदिका ने 13 वर्षों के बाद अपना दावा प्रस्तुत की है, जबकि सर्वे की तमाम प्रक्रियाएँ पूर्ण की जा चुकी है तथा सरकार के निदेशानुसार बन्दोवस्त पदाधिकारी को सर्वे की कार्रवाई समाप्त करने का निदेश दिया गया है अतएव अब कार्रवाई बन्द है। सुनने से विदित होता है कि आवेदिका ने सर्वे के अंतिम प्रकाशन होने के पश्चात् गलत होने पर दफा– 106 बी0 टी0 एक्ट के तहत आपति सहायक बन्दोवस्त पदा0 दरभंगा के न्यायालय में दाखिल किया था जिसका वाद सं0– 754/2001 था जो पैरवी के अभाव में खारिज हो गया, जबकि सुनने से यह विदित होता है कि दफा– 106 बी0 टी0 एक्ट के तहत आपति भूबन्दोवस्त पदाधिकारी के न्यायालय में दाखिल किया जाता है न कि सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी के न्यायालय में।	

21/03/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	सुनने एवं अभिलेख के अनुशीलन से विदित होता है कि आवेदिका ने अभिलेख पर ऐसा कोई भी कागजात दाखिल नहीं की है जिससे यह साबित हो कि खेसरा नं0– 621, 623, 633 एवं 634 की जमीन आवेदिका की है वो आवेदिका के दखल–कब्जे में चली आ रही हो। बल्कि यह विदित होता है कि साबिक खेसरा नं0– 621, 623, 633 एवं 634 नया खेसरा नं0– 872 एवं 840 के जमीन से आवेदिका को कोई सरोकार नहीं है क्योंकि उक्त भूमि पर विपक्षीयों का मकान है जिसमें विपक्षीगण सपरिवार रहते हैं और आवेदिका के पति का जो जमीन आपसी बाँटसे मिला उसमें मात्र घरारी का जमीन पु0 खे0 नं0– 623 नया खेसरा नं0– 839 में रकवा 05 डी0 बचा हुआ है जिसका खतियान भी आवेदिका को मिला हुआ है, चुँकि आवेदिका के पति अपने जीवन काल में हीं सभी जमीन बिक्री कर चुके हैं। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत वाद समय सीमा अधिनियम से बाधित है तथा आवेदिका वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय से कोई भी अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः आवेदिका के वाद पत्र को खारिज किया जाता है। "अभिलेख संचिकास्त करें।" **लेखापित एव शुद्धित** 01/03/14 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा** 01/03/14 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	